भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 56/02/2017/पीपीएस-।। दिनांक: 23 मार्च, 2017

सेवा में,

श्री ई.मधुसूदानन,
सं. 41
कोथांडा रमन स्ट्रीट,
चेन्नई-600021,
तमिलनाडु ।

विषय: ए आई ए डी एम के में विवाद-आयोग का अंतरिम आदेश दिनांक 22.03.17 ।

महोदय,

मुझे, आयोग के दिनांक 22.03.2017 के अंतरिम आदेश और अपने ग्रुप के लिए नाम और प्रतीक का विकल्प देते हुए दिनांक 23.03.17 के आपके पत्र को संदर्भित करने का निदेश हुआ है।

2. आपके अनुरोध पर विचार करने के उपरान्त, आयोग ने आपके ग्रुप के लिए " ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (पुरात्वी थलाईवी अम्मा)" नाम आबंटित किया है और आर.के.नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान उप-निर्वाचन में आपके ग्रुप द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी, यदि कोई हो, को आबंटित किए जाने वाले प्रतीक के रूप में 'बिजली का खम्भा' आबंटित किया गया है।

भवदीय,

(के.एफ.विल्फ्रेड)
प्रधन सचिव

(1) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु, चेन्नई को प्रतिलिपि प्रेषित। यह अनुरोध किया जाता है कि उक्त निर्णय, आर.के.नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल संसूचित कर दिया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि " ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (पुरात्वी थलाईवी अम्मा)" द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी, यदि कोई हो, को वर्तमान उप-निर्वाचन के लिए सभी प्रयोजनों हेतु मान्यताप्राप्त राज्यीय दल के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा।

(2) श्री टी.टी.वी धीनाकरन, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (अम्मा), निवास सं. 5, फोर्थ स्ट्रीट, वेंकटेश्वरा नगर, करपागम गार्डन्स, अदायर, चेन्नई-600020. तमिलनाडु को प्रतिलिपि प्रेषित।